



(13)

“ अभिकरण द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xiii) के अंतर्गत)

“ निरंक ”